न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा :–136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्याः– 541/2017

श्रवण कुमार पुत्र भूराराम जाति छिम्पा निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी।

–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

–अप्रार्थी

उपस्थितः–श्री करनैलसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
स्टेट जरिये पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :–13.6.2018

प्रार्थी श्रवण कुमार ने अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों जैसाराम,धनराज, रामकरण,प्रेमकुमार के नाम से चक नं0 9 डीबीएल के खाता सं0 36/40 में कुल 7.504 है0 में से 5/18 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम है। प्रार्थी की फौतगी के बाद प्रार्थी के पिता के हिस्सा की कृषि भूमि का जब विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया गया तो प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों जैसाराम,धनराज,रामकरण,प्रेमकुमार के पिता का नाम सहवन से श्योजीराम अंकित कर दिया गया जबकि श्योजीराम प्रार्थी के दादा का नाम है। प्रार्थी के पिता भूराराम के स्थान पर प्रार्थी के दादा का नाम अंकित कर दिया गया। प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के पहचान पत्र,आधारकार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम दर्ज है लेकिन प्रार्थी की भूमि के खाता में प्रार्थी के पिता का नाम श्योजीराम तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में पिता का नाम भूराराम अंकित होने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी चक नं0 9 डीबीएल के खाता सं0 36/40 में अंकित प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम के आगे दर्ज नाम श्योजीराम को दुरूस्त करवाकर अपने पिता भूराराम का नाम अंकित करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई मर्तबा कहा कि वह प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थी वप्रार्थी के भाईयों की भूमि के खाता में प्रार्थी के पिता का नाम श्योजीराम नाम दुरूस्त कर भूराराम अंकन करवा देवे तो वह कतई इन्कार हो गये।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्राप्त जवाब स्टेट अनुसार प्रकरण में श्योजीराम की जगह भूराराम किया जाना उचित है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब में कोई आपति जाहिर नहीं की है ओर ना ही राज्यहित प्रभावित होते है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक नं0 9 डीबीएल के खाता सं0 36/40 में प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम के आगे पिता का नाम श्योजीराम के स्थान पर भूराराम नाम की दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। चक नं0 9 डीबीएल खाता सं0 36/40 में दर्ज पिता के नाम श्योजीराम को दुरूस्त कर भूराराम करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने पिता नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा चक नं0 9 डीबीएल के खाता सं0 36/40 में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम श्योजीराम को दुरूस्त किया जाकर भूराराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक. 13.6.2018 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत डबली कलां में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner